वी.के. श्रीवास्तव और अन्य

बनाम

यू.पी. सरकार और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 206/2007)

04 सितम्बर, 2008

(के.जी. बालाकृष्णन, सीजेआई, पी. सतशिवम और जे.एम. पचांल, जे.जे.)

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1953:

उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति-2008 में चयन किए गए, 2007 में संशोधित नियमों में 50 प्रतिशत पद को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा योग्यता-सह वरिष्ठता के आधार पर, 25 प्रतिशत पात्र लोगों के बीच सीमित प्रतिस्पर्धा परीक्षा के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है और 25 प्रतिशत बार के पात्र सदस्यों से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती आयोजित वर्ष 2008 की भर्तीयां नियमों का अनुपालन करते हुये की गयी। जहां तक 2002 से पहले भर्तियों का सम्बन्ध है, उन्हे असंशोधित नियमों के अनुसार सही ढंग से भरा गया था अब तक चूंकि शेष भर्तियों का सम्बन्ध है, संशोधित नियमों का अनुपालन करते हुए चयन सूचियां तैयार की गई है, याचिकाओं का तदानुसार निपटारा किया गया।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2002 (2) एससीआर 712, (2002) 4 एससीसी 247 सन्दर्भित।

केस कानून संदर्भ

2002 (2) एससीआर 712 संदर्भ पैरा 3

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 206/2007। (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 2008 का 36, 2007 का 236, 295 और आई.ए. संख्या 1/2007 आई.ए. संख्या 2004/2007 डब्ल्यू.पी (सी) संख्या 1022/1989 में।

शेल कुमार द्विवेदी, ए.ए.जी. दिनेश द्विवेदी, एस.आर.सिंह, अजय कुमार मिश्रा, कविन गुलाटी, अवनीश पाण्डे (टी. महीपाल के लिए), टी.एन. सिंह, वी.के. सिंह डी.एन. दूबे, अभिषेक कुमार, रचना, रविप्रकाश मेहरोत्रा, गर्वेश काबरा, दीप्ति आर, मेहरोत्रा, विजय प्रताप सिंह, वंदना मिश्रा, बी.पी. सिंह, विभा द्विवेदी, अनिल कुमार झा, अनुराधा दूबे मिश्रा, विक्रम और पी. नरसिम्हा, उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डब्ल्यु.पी.(सी) संख्या 36/2008

1. याचिकाकर्ताओ के विद्वान वरिष्ठ वकील ने रिट याचिका वापस लेने हेतु अनुमति मांगी है। मांगी हुई अनुमति प्रदान की गई। याचिकाकर्ताओं ने उनकी वरिष्ठता के सम्बन्ध में अन्य उचित उपचार प्राप्त करने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रिट याचिका को वापस लिया गया मानते हुए खारिज की गयी।

डब्ल्यु.पी. (सी) संख्या 206/2007, 236/2007, 295/2007 और एल.ए. संख्या 01 में एल.ए. संख्या 204/2007।

2. रिट याचिकाओं और अन्तरिम आवेदन में याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्य है। रिट याचिका संख्या 236/2007 और आई.ए. संख्या 01/207 आई.ए. संख्या 204/2007 में यू.पी. ज्यूडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है।

3. अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ एवम् अन्य । बनाम भारत संघ एवम् अन्य (2002) 4 एससीसी पृष्ठ 247 में इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग की सिफारिशों के आधार पर उच्च न्यायिक सेवा के सन्दर्भ में पदौन्नति को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायिक सेवा के कैडर में रिक्तियों को भरने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों से पहले केवल दो स्त्रोत थे, एक सिविल जज (सीनीयर डिविजन) के कैडर से यानि अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य से पदोन्नति और दूसरा बार के सदस्यों से भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा। इस न्यायालय ने महसूस किया कि अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों को भी तेजी से पदौन्नति दी जानी चाहिए और जो सेवा में अधिक मेधावी है उन्हें सामान्य तरीके पदोन्नति से वरीष्ठता प्रदान करने के अलावा उच्च न्यायिक सेवाओ के पदो के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वरिष्ठता पर पदौन्नति के सामान्य माध्यम से अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायिक सेवा में शीघ्र पदौन्नति पाने का अवसर देने के लिए इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उच्च न्यायिक सेवा की 25 प्रतिशत रिक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जायेगी और सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) जो फीडर श्रेणी में है उन्हे ऐसी पदौन्नति पाने का अवसर दिया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे।

> "साथ ही, हमारी राय है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले

अधिकारियों के लिए निष्पक्ष रूप से तय किए गए कुछ न्यूनतम मानक होना चाहिए। जबकि हम शेट्टी आयोग से सहमत है कि उच्च न्यायिक सेवा अर्थात जिला न्यायाधीश कैडर में अधिवक्ताओं के बीच से भर्ती 25 प्रतिशत होनी चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया एक प्रतियोगी परीक्षा, लिखित और मौखिक परीक्षा दोनों के माध्यम से होनी चाहिए। हमारी राय है कि उच्च न्यायिक सेवा में पदौन्नति के लिए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्ता के परीक्षण की एक वस्तुनिष्ठ पद्धति होनी चाहिए। इसके अलावा अपेक्षाकृत कनिष्ठ और अन्य अधिकारियों के बीच सुधार करने और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहन भी होना चाहिए ताकि उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके और शीघ्र पदौन्नति प्राप्त की जा सके। इस तरह हम उम्मीद करते है कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य की क्षमता में और सुधार होगा। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए पदौन्नति द्वारा 75 प्रतिशत नियुक्ति और सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत नियुक्ति का अनुपात उच्चतर न्यायिक सेवा में बनाए रखा जाता है। तथापि हमारी राय है कि नियुक्ति के सम्बन्ध में दो तरीके होने चाहिए उच्च न्यायिक सेवा में कुल पदों का 50 प्रतिशत योग्यता सहवरिष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर पदौन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय को उन उम्मीदवारो का कानूनी ज्ञान का पता लगाने और जाँचने का मामले को पर्याप्त ज्ञान के साथ उनकी निरन्तर दक्षता का आंकलन करने के लिए एक परीक्षण तैयार और विकसित करना चाहिए। शेष 25 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिसके लिए सिविल जज

(वरिष्ठ) के रूप में योग्यता सेवा पाँच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय को इस सम्बन्ध में एक नियम बनाना होगा।

उपरोक्त के परिणास्वरूप, पुनरावृत्ति करने के लिए, हम निर्देश देते है कि उच्च न्यायिक सेवा अर्थात जिला न्यायाधीशों के कैडर में भर्ती की जायेगी।

(1) (क) योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धान्त और उपयुक्त परीक्षा उतीर्ण करने के आधार पर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) में से पदौन्नति द्वारा 50 प्रतिशत।

(ख) कम से कम पाँच वर्ष की योग्यता रखने वाले सिविल जज (सीनियर डिविजन) की प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदौन्नति द्वारा 25 प्रतिशत और (ग) 25 प्रतिशत पद सम्बन्धित उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित व मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(2) उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार उचित नियम यथाशीघ्र बनाये जायेगें।"

4. इस न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायिक सेवा में पदौन्नति के लिए 50 प्रतिशत कोटा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में से योग्यता सहवरिष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर और 25 प्रतिशत गंभीरता से सीमित प्रतीयोगी परीक्षा द्वारा योग्यता के आधार पर, 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

5. इस निर्णय के बाद यू.पी. सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से 09.01.2007 को यू.पी. न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया है। संशोधित

नियमों से पहले उच्च न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिये सेवा के दो स्त्रोत थे। यथा 85 प्रतिशत पदों को वरिष्ठता सह-योग्यता के सिद्धान्त के आधार पर पदौन्नति द्वारा भरा जाएगा और 15 प्रतिशत रिक्तियां बार के सदस्यों से सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी। ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन केस (सुप्रा) में इन न्यायालयों के फेसले के बाद इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप इसे बनाने के लिए नियम बनाए गए थे। इस प्रकार भर्तीयों के तीन स्त्रोत थे यानि (1) 50 प्रतिशत भर्तीयां सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) से पदोन्नति द्वारा योग्यता- सह-वरिष्ठता सिद्धान्त और उपयुक्त परीक्षण उत्तीर्ण होने के आधार पर भरी जानी थी। (2) कम से कम पाँच वर्ष की अर्हता सेवा वाले सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिविजन) की सीमित प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदौन्नति द्वारा 25 प्रतिशत और (3) कम से कम सात वर्षों के अनुभव वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा। हालांकि इन नियमों को 09 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया था, लेकिन विशेष रूप से कहा गया था कि संशोधित नियम 21.03.2002 से लागू होगें। यह ध्यान की बात है कि ऑल इण्डिया जजेज केस (सुप्रा) में इस कोर्ट का फैसला दिनांक 21.03.2002 को सुनाया गया था।

6. इन याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि 09 जनवरी, 2007 को प्रकाशित इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए और चूंकि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, इससे याचिकाकर्ताओ के अधिकार पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस याचिकाकर्ताओं के अनुसार 21.03.2002 से पहले उत्पन्न हुयी जिला न्यायधीशों के पदों को अपरिवर्तित नियमों के आधार पर भरा जाना चाहिये था और संशोधित नियमों के आधार पर जो भर्ती हुयी थी संशोधित नियमों में याचिकाकर्ताओं के निहित अधिकारों को प्रभावित किया है। याचिकाकर्ताओं पर यह तर्क दिया गया है कि यदि इन रिक्तियों को असंशोधित नियमों के आधार पर भरा जाता तो

कम से कम कुछ याचिकाकर्ता को अधिकार के रूप में पदोन्नति मिलती न कि योग्यता सहवरिष्टता के सिद्धांत के आधार पर जिसे संशोधित नियमों में शामिल किया गया है। यह भी तर्क दिया है कि इन नियमों के लागू होने से पहले 85 प्रतिशत रिक्तियां सिविल जज के कैडर से जिला जजों के पद पर पदोन्नति से भरी जा सकती थी। जबकि संशोधित नियम के अनुसार केवल 75 प्रतिशत सिविल जजों (सीनियर डिविजन) को उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति पाने का अवसर मिलेगा। यह तर्क दिया गया है कि जब नियुक्ति के लिये चयन के लिये सेवा नियमों में संशोधन किया गया तो यह हमेशा भावी आधार पर होगा और पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं लिया जायेगा ताकि उम्मीदवारों के निहित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

7. इन याचिकाकर्ताओ द्वारा दिए गए तर्क में ज्यादा दम नहीं दिखता, खासकर उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2008 में हुई भर्ती के सम्बन्ध में दी गई जानकारी के मध्यनजर। दिनांक 20.03.2002 से पहले 22 पद थे। जिला न्यायाधीशों के पदों को भरा जा सकता था और जिला न्यायाधीशों के इन 22 पदो में से यदि 85 प्रतिशत तत्कालीन मौजूदा नियमों के अनुसार लिया जाता तो 19 पदो को सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) के सन्दर्भ से पदोन्नति द्वारा भरा जाना था और तीन पदों को बाद में अधिवक्ताओं में से भर्ती द्वारा भरा जाना था। इसके अलावा 328 रिक्तिया भरी जानी थी और हमे बताया गया है कि चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। उच्च न्यायालय ने 245 उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की है। चयन के अनुसार उम्मीदवारों का विवरण जिसका उल्लेख उच्च न्यायालय ने किया है जो इस प्रकार हैः-

"50 प्रतिशत रिक्तियों को भरने के लिए 170 उम्मीदवारो को सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) से योग्यता-सह वरिष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर पदौन्नति दी जानी थी और सभी 170 रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव दिया गया था। योग्यता के

आधार पर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) की 25 प्रतिशत पदौन्नति के लिए कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया और इन 76 पदो को भी 50 प्रतिशत में जोड़ दिया गया और कुल 245 उम्मीदवार थे सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) कैडर को अब जिला जज कैडर में पदोन्नत करने के लिये शामिल किया गया और जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती के 82 लोगो को बार से चुना गया है और उन्हे नियुक्त करने का प्रस्ताव है और कुल 286 उम्मीदवार को अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किया गया है जिन्हें पदौन्नत किया जाना है।"

8. याचिकाकर्ताओं की और से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया था कि इन नियमों में संशोधन से पहले जिला न्यायाधीशों के कैडर में वरिष्ठता सहयोग्यता के सिद्धान्त के आधार पर पदोन्नत किया गया था। अब संशोधित नियमों के अनुसार इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार सिद्धान्त को अब ''योग्यता सह वरिष्ठता में बदल दिया गया है और इससे सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) के अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित हुये है। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि पदौन्नति की प्रक्रिया में केवल योग्यता को ही महत्व नहीं दिया जा रहा। भले ही योग्यता-सह वरिष्ठता के सिद्धान्त को लागू करना पड़े। सिद्धान्त यह है कि यदि उम्मीदवार जिला न्यायाधीशों के सन्दर्भ में पदौन्नति के लिए पात्र है, तो फीडर श्रेणी में वरिष्ठता को 50 प्रतिशत के सम्बन्ध में बनाए रखना होगा। बेशक 25 प्रतिशत पदौन्नति के मामले में इस न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षण कठोर होना चाहिए और जिला न्यायाधीशों की श्रेणी में सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिविजन) की 25 प्रतिशत श्रेणी के तहत पदौन्नति सख्ती से योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और यह भी कठोर चयन के अधीन है और ऐसे उम्मीदवार फीडर श्रेणी यानि सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) में अपने कुछ सहयोगी को हटा सकते है। 2008 के चयन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत

जानकारी के आधार पर हम संतुष्ट है कि नियमों का पालन किया गया है। निःसंदेह जहां तक अन्य आपत्तियों का सम्बन्ध है यदि कोई है तो हम गुण दोष के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं कर रहे है। परिणामस्वरूप हमे इन रिट याचिकाओं और आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती और तदानुसार निपटारा कर दिया जाता है।

आर.पी.

रिट याचिकाएं और वार्ताकार आवेदनों

का निराकरण किया गया।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **कविता सोनी (आर. जे. एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।